न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

पीठासीन अधिकारी– अमानुल्लाह खान,
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
380 / प्रा0पत्र / 17	20.12.2017	05.04.2021

1. नन्दसिंह
2. गोपालसिंह

पुत्र रामनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डेरोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

–प्रार्थी

बनाम

1. सत्यनारायण आ0 रामकिशन जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम विजयगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी।
3. राजस्थान राज्य जरिये आवंटन अधिकारी सहायक जिलाधीश द्वितीय बून्दी जिला बून्दी।

–अप्रार्थी

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से – श्री लीलाधर सिंह एड0
अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध – एकपक्षीय कार्यवाही
अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से – पेरोकार सरकार

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थी सत्यनारायण को किया गया भूमि आवंटन ख.सं. 1 में से 7 बीघा वाके ग्राम डेरोली तहसील हिण्डोली आवंटन आदेश दिनांक 28.06.1981 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद सूचना के दिनांक 19.02.2018 को न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से इसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार समाअत की गई।

वकील प्रार्थी ने दोहराने बहस व्यक्त किया कि प्रार्थीगण के दादा स्वर्गीय धूलसिंह आ0 गोविन्द सिंह ग्राम डेरोली तहसील हिण्डोली के जागीदार थे। जिनके खुदकाश्त ने ग्राम डेरोली व अन्य ग्रामों में कृषि भूमियां थी। उक्त भूमियों को सीलिंग सीमा से अधिक मानकर भूमि को अनुचित तौर पर अधिग्रहण कर लिया गया था। उक्त निर्णयों में प्रार्थीगण पक्षकार नहीं होने के कारण वे निर्णय प्रार्थीगण के विरूद्ध सर्वथा प्रभाव शून्य हैं व प्रार्थीगण उनसे पाबंद नहीं हैं। प्रार्थीगण अन्य खातेदारी की भूमियों के साथ अवाप्त भूमियों पर भी प्रार्थीगण काबिज चले आ रहे हैं तथा प्रार्थीगण को वैधानिक रूप से कभी बेदखल

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

A 6/2

किया गया हैं। प्रार्थीगण आज भी उक्त भूमियों पर काबिज हैं। अन्य किसी का कब्जा नहीं हैं। प्रार्थीगण की जानकारी के बिना आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रार्थी के पक्ष में कब्जा नहीं होने पर भी भूमि खसरा संख्या 1 में से 7 बीघा भूमि आवंटित कर दी गई हैं जिसके नये खसरा संख्या 550/1 रकबा 7 बीघा बने हैं तथा अप्रार्थी को गैर खातेदार के रूप में राजस्व अभिलेख में अंकन कर दिया गया हैं। आवंटित भूमि पर अप्रार्थी को दखल व कब्जा आज तक नहीं दिया गया हैं। अप्रार्थी को आवंटन भूमि एवं अन्य भूमियों के संबंध में एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली के यहां वाद संख्या 141/2012 बउनवान नन्दसिंह बनाम राजस्थान सरकार प्रार्थीगण ने पेश कर रखा हैं जो वर्तमान में विचाराधीन हैं। अप्रार्थी ग्राम विजयगढ पटवार हल्का विजयगढ का निवासी हैं। भूमि ग्राम डेरोली पटवार हल्का मांगलीकला की हैं। भूमि का आवंटन स्थानीय भूमिहिन व्यक्ति को किया जाना चाहिए था। अप्रार्थी बाहर का निवासी हैं जिसने आवंटन तथ्य छुपाकर तथा मिथ्यातथ्य प्रकट कर करवाया गया हैं। आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा कब्जें के संबंध में कोई जांच नहीं की गई हैं। आवंटन आदेश दिनांक 28.06.1981 की जानकारी प्रार्थीगण को हल्का पटवारी के पास अपने खातेदारी की भूमि की नकल लेने पर हुई। पटवारी हल्का ने बताया कि आपकी कब्जाशुद्धा भूमि खसरा संख्या 1 में से 7 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी में दर्ज हैं। उसके बाद प्रार्थीगण ने आवंटन आदेश प्राप्त करने हेतु नकल आवेदन पेश किया एवं दिनांक 27.10.2017 को प्रार्थीगण को उक्त आवंटन की नकल प्राप्त हुई। नकल प्राप्त करने की तिथि से जानकारी की तिथि तक प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं। विलम्ब क्षम्य हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को किये गये आवंटन आदेश दिनांक 28.06.1981 को निरस्त फरमाया जावें।

बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा नियमानुसार अधिसूचना जारी कर अप्रार्थी संख्या 1 को भूमि खसरा संख्या 1 में से रकबा 7 बीघा भूमि का आवंटन किया गया हैं जो विधिअनुकूल हैं। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर अप्रार्थी को किया गया आवंटन आदेश यथावत रखा जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन कर पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को निर्णित किया जाना उचित समझते है,जहां प्रार्थना पत्र में पक्षकारान के सारभूत तथ्य निहित हो वहां प्रार्थना पत्र का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 स्वीकार किया जाकर गुजरी अवधि को मुजरा किया जाता है। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्डानुसार अप्रार्थी संख्या 1 को भूमि खसरा संख्या 1 में से रकबा 7 बीघा वाके ग्राम डेरोली तहसील हिण्डोली का आवंटन दिनांक 28.06.1981 को किया गया हैं। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर आया कि अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम विजयगढ का निवासी हैं और उसे ग्राम डेरोली की भूमि आवंटन की गई हैं। आवंटन नियमों में यह प्रावधान हैं कि जिस ग्राम में भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध हैं वहां उसी ग्राम के भूमिहिन व्यक्तियों को पात्रता अनुसार भूमि का आवंटन किया जाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में मिथ्यातथ्य के आधार पर भूमि का आवंटन करवाया जाना प्रथमदृष्टया ज्ञात होता हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

A 6/3

है जिससे प्रकट होता हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटित भूमि के संबंध में कोई [illegible]चे नहीं हैं तथा वह आवंटन के संबंध में कोई राहत नहीं चाहता हैं।

अतएवः परिणामस्वरूप प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को आवंटित भूमि खसरा संख्या 1 में से रकबा 7 बीघा वाके ग्राम डेरोली आवंटन आदेश दिनांक 28.06.1981 खारिज किया जाता हैं। भूमि राजकीय सिवायचक दर्ज की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 05.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

(अमानुल्लाह खान)
अति० जिला कलक्टर,
बूंदी